धारा 66 : विशेष लेखापरीक्षा

(1) यदि संवीक्षा, जांच, अन्वेषण या उसके समक्ष किन्हीं अन्य कार्यवाहियों के किसी प्रक्रम पर सहायक आयुक्त की पंक्ति से अन्यून अधिकारी का मामले की प्रकृति और जटिलता तथा राजस्व के हित को ध्यान में रखते हुए यह मत है कि मूल्य की सही रूप से घोषणा नहीं की गई है या लिया गया प्रत्यय सामान्य सीमाओं के भीतर नहीं है तो वह आयुक्त के पूर्व अनुमोदन से ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को लिखित संसूचना द्वारा उसके अभिलेखों, जिसके अंतर्गत लेखा बहियां भी हैं, की किसी ऐसे चार्टर्ड अकाउंटेंट या लागत लेखापाल, जैसा कि आयुक्त द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाए, से परीक्षा करवाने और लेखापरीक्षा करवाने का निदेश दे सकेगा।

(2) इस प्रकार नामनिर्दिष्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट या लागत लेखापाल नब्बे दिन की अवधि के भीतर ऐसी लेखापरीक्षा की उसके द्वारा सम्यक्तः हस्ताक्षरित और प्रमाणित रिपोर्ट उक्त सहायक आयुक्त को उसमें ऐसी अन्य विशिष्टियों का वर्णन करते हुए, जैसा कि विनिर्दिष्ट किया जाए, प्रस्तुत करेगा :

परन्तु सहायक आयुक्त, उसे इस निमित्त किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति या चार्टर्ड अकाउंटेंट या लागत लेखापाल द्वारा किए गए आवेदन पर या किसी तात्त्विक और पर्याप्त कारण से उक्त अवधि को नब्बे दिन की और अवधि के लिए उसका विस्तार कर सकेगा।

(3) उपधारा (1) के उपबंध इस बात के होते हुए भी प्रभावी होंगे कि रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के लेखाओं की लेखापरीक्षा इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन की गई है।

(4) रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को उपधारा (1) के अधीन विशेष लेखापरीक्षा के आधार पर एकत्रित किसी सामग्री, जिसका इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के अधीन उसके विरूद्ध किन्हीं कार्यवाहियों में उपयोग किया जाना प्रस्तावित है, के संबंध में सुने जाने का अवसर प्रदान किया जाएगा।

(5) उपधारा (1) के अधीन अभिलेखों की परीक्षा और लेखापरीक्षा के व्ययों, जिसके अंतर्गत चार्टर्ड अकाउंटेंट या लागत लेखापाल का पारिश्रमिक भी है, का आयुक्त द्वारा अवधारण और संदाय किया जाएगा तथा ऐसा अवधारण अंतिम होगा।

(6) जहां उपधारा (1) के अधीन संचालित लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप यह पता चलता है कि कर का संदाय नहीं किया गया है या कम कर संदत्त किया गया है या उसका त्रुटिवश प्रतिदाय किया गया है या इनपुट कर प्रत्यय को गलत तरीके से लिया या उपयोग किया गया है तो समुचित अधिकारी धारा 73 या धारा 74 [1][या धारा 74क] के अधीन कार्रवाई आरंभ कर सकेगा।

उपयुक्त नियमः नियम 102

उपयुक्त प्रारूपः प्रारूप जीएसटी एडीटी–03, जीएसटी एडीटी–04

---

1 वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 2024 (2024 का क्रमांक 15) द्वारा अंतःस्थापित। अधिसूचना क्रमांक 17/2024–केन्द्रीय कर, दिनांक 27.09.2024 द्वारा इसको दिनांक 01.11.2024 से प्रभावशील किया गया।